रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका संख्या 5324/2007

राजस्थान प्रदेश V.S. सरदारशहर और एक अन्य .... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

साथ में

सिविल याचिका संख्या 5325/2007

आयुर्वेद विकास चिकित्सक संघ, जोधपुर .... अपीलकर्ता

द्वारा इसके सचिव अब्दुल वाहिद

बनाम

भारत संघ और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

साथ में

सिविल याचिका संख्या 4758/2010

(एसएलपी (सी) नंबर 21043/2008 से अनुप्रेरित)

सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन .... अपीलकर्ता

बनाम

वेद प्रकाश त्यागी अन्य अन्य .... प्रत्यर्थीगण

साथ में

सिविल याचिका संख्या 4757/2010

(एस. एल. पी. (सी) सं. 20912/2009 से अनुप्रेरित)

दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, दिल्ली

.... अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

साथ में

सिविल याचिका संख्या 4759/2010

(एसएलपी (सी) नंबर 3986/2010 से अनुप्रेरित)

हरियाणा वैद्य समिति, हरियाणा .... अपीलकर्ता

एक पंजीकृत निकाय, जरीये अध्यक्ष

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

डॉ बी.एस. चौहान, न्यायाधिपति

1. एसएलपी (सी) संख्या 21043/2008,20912/2009 और 3986/2010 में अनुमति अनुदत्त ।

उपर्युक्त सभी सिविल अपीलों में, विधि के सामान्य प्रश्न शामिल हैं और इसलिए, उनकी सुनवाई एक साथ की जाती है। इन सभी मामलों में शामिल प्रश्न इस प्रकार हैंः

(i) क्या ऐसे व्यक्ति जिनके पास हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद से "वैद्य विशारद" या "आयुर्वेद रत्न" की डिग्री या

डिप्लोमा है और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1970" कहा जाता है) की अनुसूची II में मान्यता प्राप्त योग्यता के रूप में शामिल नहीं हैं, उन्हें चिकित्सा विज्ञान में अभ्यास करने का अधिकार है।

(ii) क्या कट ऑफ डेट i.e. 1967 अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या. 105 के अनुसार मनमाना है और इस प्रकार, रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) क्या केंद्रीय अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंध, जब तक कि केंद्रीय रजिस्टर में नाम न हों, राज्य अधिनियम के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

2. सिविल अपील संख्या 5324-5325 ऑफ़ 2007 और एसएलपी (सी) संख्या 21043/2008 से उत्पन्न होने वाली अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां यह हैं कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 32 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम 1953' के रूप में संदर्भित किया गया है) हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से "वैद्य विशारद" या "आयुर्वेद रत्न" की प्राप्त डिग्री को राजस्थान में वैद्य के रूप में अभ्यास करने के लिए पर्याप्त योग्यता के रूप में मान्यता दी गई थी और

उन्हें उक्त अधिनियम 1953 के तहत बनाए गए रजिस्टर में वैद्य के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी। अधिनियम 1970 की धारा 17 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों के पास अधिनियम 1970 की दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में निर्धारित योग्यताएं हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, धारा 17 (3) ने उन वैद्यों के लिए एक अपवाद तैयार किया जो अधिनियम 1970 के प्रारंभ से पहले अभ्यास कर रहे थे। 1970 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन अलग-अलग तिथियों पर। राजस्थान में, धारा 17 को 1.10.1976. से लागू किया गया। वेद प्रकाश त्यागी नामक एक व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 733/2000 दायर की जिसमें उन लोगों को वैद्य के रूप में कार्य करने के लिए 1967 के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से "वैद्य विशारद" या "आयुर्वेद रत्न" की डिग्री/प्रमाण पत्र प्राप्त करने और अधिनियम 1953 के तहत इस प्रकार बनाए गए रजिस्टर से अपने नाम हटाने के लिए प्रतिबंध आदेश सहित बड़ी संख्या में राहत की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

(1) जिन व्यक्तियों के पास अधिनियम 1970 की अनुसूची II, III और IV के तहत निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं थी, वे राज्य रजिस्टर में नामांकित होने के बावजूद चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थे और धारा 17 (3) (बी) के तहत अपवाद खंड द्वारा कवर किए गए थे और उन्हें दवाओं का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी;

(2) अधिनियम, 1953 के अधीन विहित अर्हता, जहां तक वह अधिनियम, 1970 के प्रतिकूल थी, किसी व्यक्ति को अभ्यास करने या राज्य रजिस्टर में नामांकन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

(3) अधिनियम 1970 की धारा 17 राजस्थान में 1.10.1976 से लागु हुई। इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उसके बाद से राज्य रजिस्टर में नामांकित होने का पात्र नहीं होगा; और

(4) कोई भी व्यक्ति जिसने 1.10.1976 के बाद ऐसा प्रमाणपत्र/डिप्लोमा प्राप्त किया है, उसे अभ्यास करने या चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. अतः सिविल अपील सं. 5324-25 ऑफ़ 2007 वैद्य समिति और चिकित्सक संघ द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित

होकर पेश की गयी हैं कि 1.10.1976 के पश्चात् हिंदी साहित्य सम्मेलन से अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति योग्य नहीं थे और अभ्यास करने के हकदार नहीं थे। एसएलपी (सी) संख्या 21043 ऑफ़ 2008 से उद्भूत अपील भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (इसके पश्चात् 'सीसीआईएम' के रूप में संदर्भित) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को इस सीमा तक चुनौती देते हुए पेश की गई है कि 1967 और 1.10.1976 के बीच प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी अभ्यास करने की अनुमति दी गई है।

4. एसएलपी (सी) सं. 3986/2010 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 14392/2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.2009 के विरुद्ध हरियाणा वैद्य समिति द्वारा की गयी है जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गायन है कि जिन व्यक्तियों ने 1967 के पश्चात् हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा अर्जित किए हैं, वे अभ्यास करने के हकदार नहीं हैं और इसने अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में "1967 तक" पद के संबंध में चौथे कॉलम में प्रविष्टि संख्या 105 की वैधता को बरकरार रखा था।

5. एसएलपी (सी) सं. 20912/2009 से उत्पन्न अपील सिविल याचिका संख्या 1999/1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश दिनांक 19.11.2009 से व्यथित दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स

एसोसिएशन द्वारा दायर की गयी है जिसमे यह अभिनिर्धारित किया है की जब तक कोई व्यक्ति अधिनियम 1970 की अनुसूची II, III एवं IV के अनुसार निर्धारित योग्यता अर्हित नहीं करता, वह अभ्यास करने के लिए हक़दार नहीं है।

6. इन सभी मामलों में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, अर्थात्, श्री एस.के.ढोलकिया, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री बी.डी. शर्मा ने प्रस्तुत किया की अपीलार्थियों पर लगाया गया ऐसा प्रतिबंध भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अभ्यास करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, एक बार जब उनका नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज हो गया, तो वे प्रैक्टिस करने के हकदार थे। इसके अलावा, वे अभ्यास जारी रखने के हकदार हैं, क्योंकि अधिनियम, 1970 की धारा 17 (3) के तहत एक अपवाद बनाया गया है। अधिनियम, 1970 के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर में नामों के उपस्थित होने तक कार्य करने के लिए अधिरोपित प्रतिबंध अधिनियम, 1953 के सांविधिक उपबंधों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 105 में कट-ऑफ तिथि 1967 के रूप में नियत करने के लिए कोई तर्कसंगत नहीं है और इस प्रकार यह अपास्त किए जाने योग्य है। इसलिए, अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, सीसीआईएम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.यू. उपाध्याय ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके पास अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III और IV में उल्लिखित योग्यताएं नहीं हैं, पात्र नहीं है और किसी भी प्रकार के चिकित्सा अभ्यास में शामिल होने का हकदार नहीं हैं। विधान-मंडल के पास उक्त उपबंध के खंड (6) के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन कार्य करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। अधिनियम, 1953 में अंतर्विष्ट उपबंध, अधिनियम, 1970 के सांविधिक उपबंधों के प्रतिकूल होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर लागू नहीं होंगे। संविधान की दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि सं. 105 में दिए गए कट-ऑफ तिथि i.e. 1967 से पता चलता है कि उक्त सोसायटी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों को 1967 के पश्चात् मान्यता नहीं दी गई थी। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 जो व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस देश के गरीब लोग जो योग्य डॉक्टरों की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन्हें नीम हकीमों से बचाया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को 1967 के बाद चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता नहीं दी गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन कोई चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय या बोर्ड नहीं है। यह केवल सोसायटी

पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसका कोई संबद्ध कॉलेज नहीं है। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि ऐसे व्यक्ति, जिनके पास हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 01.10.1976 तक अर्थात राजस्थान में अधिनियम 1970 की धारा 17 लागू होने की तिथि तक योग्यता थी उन्हें अभ्यास करने की अनुमति दी जाए।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

9. निश्चित रूप से, इनमें से किसी भी मामले में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अभिलेख पर यह दिखने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने उक्त सोसाइटियों से ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, उनके पास कोई अन्य विद्या सम्बन्धी योग्यता है जैसे की क्या उन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है या उनके पास ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के योग्य बनाने के लिए कोई अन्य योग्यता है।

10. अभिलेख पर यह खुलासा करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है कि वह कौन सा संस्थान/विद्यालय था जहाँ ऐसे व्यक्तियों ने प्रवेश लिया था, शिक्षा प्रदान की थी, कक्षाओं में भाग लिया और प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल किया और इसकी अवधि क्या थी। इन सभी मामलों में एक सुस्पस्ट बयान दिया गया है कि व्यक्तियों के पास हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रमाण पत्र हैं। चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए कक्षाओं में उपस्थिति और सक्षम संकाय के तहत उचित तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित कोई भी विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करने में समर्थ नहीं है कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय/बोर्ड, वह शैक्षणिक संस्थान था जहां उन्हें चिकित्सा शिक्षा प्रदान की गई थी, संबद्ध था और क्या ऐसे स्कूलों को कभी सक्षम सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता दी गई थी।

11. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि एक पक्ष को मामले का पक्ष लेना होगा और याचिका में की गई अपनी दलीलों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश/पेश करना होगा और यदि अभिवचन पूरे नहीं होते हैं, तो न्यायालय याचिकाओं पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। भरत सिंह

और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एआईआर 1988 एससी 2181 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की हैः

> "हमारी राय में, जब एक बिंदु, जो प्रत्यक्ष रूप से कानून का एक बिंदु है, को तथ्यों द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, तो इस बिंदु को उठाने वाले पक्ष को, यदि वह रिट याचिकाकर्ता है, तो साक्ष्य द्वारा रिट याचिका के ऐसे तथ्यों को साबित करना चाहिए और यदि वह प्रतिवादी है, तो जवाबी शपथ पत्र से। यदि तथ्यों का अनुरोध नहीं किया जाता है या ऐसे तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य रिट याचिका या जवाबी-हलफनामे के साथ, जैसा भी मामला हो, संलग्न नहीं किया जाता है, तो न्यायालय इस बिंदु पर विचार नहीं करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई और रिट याचिका या जवाबी-हलफनामे के बीच अंतर है। जबकि एक अभिवचन में, जैसे की एक वाद या लिखित कथन, तथ्यों की अपेक्षा की जाती है न कि साक्ष्य की। एक रिट याचिका में या जवाबी शपथ पत्र में, न केवल तथ्यों को बल्कि ऐसे तथ्यों के प्रमाण में साक्ष्य को भी पेश किया जाना चाहिए और इसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए।"

12. इसी तरह के विचार को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य अन्य गुजरात राज्य और अन्य, एआईआर 1998 एससी 1608; राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम एस. रघुनाथन और अन्य, एआईआर 1998 एससी 2779; राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी और अन्य, (1999) 1 एससीसी 141; श्रीमती चित्रा कुमारी आदि बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 2001 एससी 1237; और यु.पी. राज्य और अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे और अन्य, एआईआर 2001 एससी 1298 में दोहराया गया है।

13. मेसर्स अतुल कास्टिंग्स लिमिटेड बनाम बावा गुरबचन सिंह, एआईआर 2001 एससी 1684 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

> "आवश्यक अभिवचनों और सहायक साक्ष्यों की अनुपस्थिति में निष्कर्षों को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।"

14. इसी तरह के विचार को विट्ठल एन. शेट्टी और अन्य बनाम प्रकाश एन. रुद्रकर और अन्य, (2003) 1 SCC 18; देवसाहयम (मृत) द्वारा L.Rs बनाम पी. सावित्रीमा और अन्य, (2005) 7 एससीसी 653; और सैत नागजी पुरुषोत्तम एंड कंपनी लिमिटेड बनाम विमलबाई प्रभुलाल & अन्य., (2005) 8 एससीसी 252 में दोहराया गया है।

15. अपीलार्थियों द्वारा किए गए किसी भी अभिवचन की अनुपस्थिति में में, यह कहना मुश्किल है कि ऐसे व्यक्तियों में से किसी के पास कोई योग्यता थी जो उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाती है।

16. प्रिंसिपल और अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी और अन्य, एआईआर 1978 एससी 344 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'मान्यता' का अर्थ है कि स्कूल को अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता या मान्यता दी गई है और 'संबद्धता' का अर्थ है कि उस स्कूल के छात्र परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इसलिए, संबद्धता का उद्देश्य केवल छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार करना और प्रस्तुत करना है, एक निजी स्कूल की मान्यता अधिनियम के तहत उल्लिखित अन्य उद्देश्यों के लिए है और जब तक कि स्कूल उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तब तक स्कूल इस संबंध में लागू अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है।

17. री: केरल शिक्षा विधेयक, 1957 AIR 1958 SC 956; और टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2002) 8 एससीसी 481 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्य या सांविधिक प्राधिकरण के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता के लिए

शर्तें निर्धारित करने के लिए सदैव खुला है, अर्थात्, संस्थान के पास विशेष मात्रा में धन या संपत्ति या छात्रों की संख्या या शिक्षा का स्तर इत्यादि होना चाहिए और ऐसी मान्यता के लिए शर्तें विहित करने वाली विधि बनाना भी विधानमंडल के लिए अनुज्ञेय है, तथापि, ऐसी विधि संवैधानिक होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों आदि का कोई मौलिक अधिकार इत्यादि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मान्यता एक सरकारी कार्य है।

18. इस न्यायालय ने छात्रों को प्रवेश देने और उन्हें अपेक्षित मान्यता और संबद्धता के बिना परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की प्रथा की लगातार निंदा की है। इस तरह के कानून के उल्लंघन को बहुत उच्च परिमाण और गंभीर प्रकृति का माना गया है। किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्र कानूनी रूप से किसी भी सरकार, विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हो सकते हैं। (द्वारा माइनर सुनील उरांव द्वारा गार्डियन और अन्य बनाम C.B.S.E. और अन्य, एआईआर 2007 एससी 458)

19. इसी तरह, स्कूल को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाने के लिए मान्यता होनी चाहिए। मान्यता का अर्थ है पहले से मौजूद किसी चीज़ को स्वीकार करना या प्राप्ति करना। पहचानने का अर्थ है किसी तथ्य का संज्ञान लेना। इसका तात्पर्य इस तरह का संज्ञान लेने वाले व्यक्ति की ओर

से एक स्पष्ट कार्य है। (द्वारा टी.वी.वी. नरसिम्हम और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1963 एससी 1227)।

20. तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम सेंट जोसेफ टीचर्स प्रशिक्षण संस्थान और अन्य, (1991) 3 एससीसी 87 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र सरकार द्वारा आयोजित किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं और न्यायालय के लिए ऐसे संस्थानों से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने का दावा करने वाले व्यक्ति को कानून के विपरीत मानवीय आधार पर राहत देने की अनुमति नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि कोई भी संस्थान जो मान्यता प्राप्त नहीं है, वह शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है और उसके छात्र सरकार, विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

21. संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 66 के अनुसार, संसद उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थान के मानकों को निर्धारित करने के लिए कानून बनाने में सक्षम है। इस तरह की शक्तियां भी सूची ।।। की प्रविष्टियों 25 और 26 के

अनुसार संसद के पास उपलब्ध हैं क्योंकि इसमें चिकित्सा शिक्षा शामिल है। यधपि, सूची II की प्रविष्टि 6 के अनुसार, राज्य विधानमंडल सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम है, जैसे कि अस्पताल और औषधालय। अधिनियम 1970 की धारा 2 (1) (एच) उस अधिनियम की अनुसूची II, III या IV में शामिल किसी भी चिकित्सा योग्यता के रूप में "मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता" प्रदान करती है। अधिनियम 1970 की धारा 14 भारत में चिकित्सा संस्थानों में प्रदान की गई चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है और धारा 17 में अधिनियम की अनुसूची II, III और IV में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की पात्रता/पात्रता का प्रावधान किया गया है, जिन्हें अभ्यास के लिए नामांकित किया जाना है। जहां तक अधिनियम 1970 की II अनुसूची का संबंध है, प्रासंगिक प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं: –

105	हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	वैद्य विशारद आयुर्वेद-रतन	---------- ----------	1931 से 1967 तक 1931 से 1967 तक

22. अधिनियम 1970 की धारा 14 (2) में यह प्रावधान है कि कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड/चिकित्सा संस्थान चिकित्सा यदि शिक्षा प्रदान करना चाहता है और दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो वह अपनी चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए और दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो केंद्र सरकार को आवेदन पर विचार करने के बाद दूसरी अनुसूची में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक संशोधन करने का अधिकार है।

23. उमाकांत तिवारी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी और अन्य, (2003) 4 AWC 3016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद/प्रयाग केवल पंजीकृत समितियाँ थीं, न कि शैक्षणिक संस्थान। उक्त समितियों का चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने का कोई व्यवसाय नहीं था। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद एक नकली संस्थान था जबकि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 1931 से 1967 तक ही मान्यता दी गई थी।

24. डॉ. विजय कुमार गुप्ता और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी और अन्य, (1999) एडब्ल्यूसी 1783 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से 1967 के

बाद अर्जित डिग्री/प्रमाणपत्र/डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई थी और जिन लोगों ने 1967 के बाद इसे प्राप्त किया था, वे दवाओं का अभ्यास करने के हकदार नहीं थे।

25. डॉ. विजय कुमार गुप्ता और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी और अन्य, (1999) 2 यूपीएलबीईसी 1063 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों के साथ मामले पर विस्तार से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद को कभी भी ऐसे प्रमाण पत्र/डिग्री जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यधपि, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को 1931 से 1967 की अवधि के दौरान मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, उसके बाद ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को चिकित्सा का अभ्यास करने का अधिकार नहीं दे सकता था।

26. वीरेंद्र लाल वैश्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2003 (2) Mah. LJ 64 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड नहीं था और इस प्रकार डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकता था।

27. चरण सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी और अन्य. एआईआर 2004 All. 373 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की वैधता के मुद्दे पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त संस्थान को 1967 के बाद "वैद्य विशारद" और "आयुर्वेद-रत्न" की कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था और कोई भी व्यक्ति जिसने 1967 के बाद ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, वह आत्यन्तिक रूप से अभ्यास करने का हकदार नहीं था।

28. उमाकांत तिवारी (उपर्युक्त) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था और सिविल अपील सं. 1453/2004 में दिनांक 25 मई, 2007 के निर्णय और आदेश द्वारा नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था, क्योंकि इस मामले का प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा 2003 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद/प्रयाग को सुनवाई का अवसर दिए बिना विनिश्चय किया गया था।

29. प्रतिप्रेषण के बाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद/प्रयाग को नोटिस दिए गए और उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सहित सभी संबंधित

पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 23.10.2009 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

30. जहां तक अनुसूची-II की में कट-ऑफ तिथि "1967 में प्रविष्टि सं. 105" की वैधता के प्रश्न का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः

> "अधिनियम, 1970 के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह देखा जाएगा कि केवल 1931 से 1967 के बीच हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा दी गई डिग्री/प्रमाणपत्रों को धारा 14 के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता माना गया है, जो अधिनियम, 1970 के तहत डिग्री धारक को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करता है।
>
> "1967 तक" शब्दों को चुनौती देने के संबंध में, यह तर्क देने के लिए एकमात्र आधार उठाया गया कि कट ऑफ डेट मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यह है कि किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है। इसके समर्थन में, यह कहा गया है कि पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम जो 1967 से पहले था, वह हिंदी

साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उद्देश्यों के लिए उसके बाद भी जारी है और 1967 के बाद पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संदर्भ में अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में "1967 तक" शब्द प्रदान किए गए हैं। इन परिस्थितियों में 1967 के ऐसे निर्देश को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब मामले के तथ्यों में संस्था, अर्थात् हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को अनुसूची में संशोधन के लिए अधिनियम, 1970 की धारा 14 (2) के तहत आवेदन करने की शक्ति प्रदान की गई थी और 1967 के बाद दी गई डिग्री को भी इसमें शामिल किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जानबूझकर इस तरह का आवेदन करने से परहेज किया है। इस तरह की निष्क्रियता के कारण, इसने अधिनियम, 1970 की धारा 18 से 22 के संदर्भित निर्देशों की अवहेलना की है जो कि अन्यथा लागू हो जाते। यह न्यायालय अभिलिखित कर सकता है कि अनुसूची

में उल्लिखित कट ऑफ तिथि को मनमाने रूप में चुनौती देना हिंदी साहित्य सम्मेलन के समक्ष निहित नहीं है, क्योंकि उक्त प्रावधानों ने स्वयं संस्था जैसे की हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1967 प्रयाग को 1967 के बाद दी गई डिग्री/प्रमाणपत्रों को शामिल करके अनुसूची में संशोधन करने का अवसर प्रदान किया है।

डिग्री की मान्यता के लिए वर्ष 1967 को कट ऑफ वर्ष के रूप में निर्धारित करने के लिए राज्य-प्रतिवादी द्वारा बताये गए कारण जैसे की राज्य सरकार द्वारा सूचना की आपूर्ति पर भी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया और न ही राज्य सरकार द्वारा किए गए उपरोक्त प्रकटीकरण पर सवाल उठाने के लिए किसी भी तथ्य को वर्तमान रिट याचिका के रिकॉर्ड में लाया गया है।" (जोर दिया गया)

31. बोम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने रिट याचिका संख्या 7648 ऑफ़ 2000 (आयुर्वेदिक सूचीबद्ध डॉक्टर एसोसिएशन, बॉम्बे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) में कट-ऑफ तिथि, जैसे की 1967 तक, दिनांक

22.12.2006 के निर्णय और आदेश द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए गएः

> "राज्य की ओर से यह इंगित किया गया है कि 1967 तक प्रचलित प्रासंगिक नियमों के तहत, वैद्य विशारद और आयुर्वेद रत्न की डिग्री को उत्तर प्रदेश सरकार और इसकी परिषद द्वारा मान्यता दी गई थी। उसके बाद इसकी मान्यता समाप्त हो गई। इसलिए, 1967 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदान की गई इन डिग्रियों को केंद्रीय अधिनियम के तहत चिकित्सा योग्यता के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन उसके बाद इन डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था।" (जोर दिया गया)

32. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित नियमों के तहत, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को केवल 1967 तक मान्यता प्राप्त थी। सांविधिक के तहत प्राधिकरण यूपी राज्य द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में पाठ्यक्रमों को आगे मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया था। सोसायटी ने, उन कारणों के लिए जो इसे सबसे अच्छे से ज्ञात हैं, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अधिनियम, 1970 की

दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 105 को संशोधित करने के बाद कभी भी मान्यता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया।

33. इस तरह की तथ्य-स्थिति में, कल्पना के विस्तार से भी, उक्त कट-ऑफ तिथि को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि नहीं है, बल्कि यह इंगित करता है कि ऐसे "पाठ्यक्रमों" या प्रमाणपत्रों को 1967 के बाद मान्यता नहीं दी गई थी।

34. प्रतिप्रेषण के बाद, उमाकांत तिवारी (उपरोक्त) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तथ्य के निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैंः -

> "हिंदी साहित्य सम्मेलन के विद्वान अधिवक्ता श्री जीवन प्रकाश शर्मा ने उचित रूप से कहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी संस्थान को संबद्धता प्रदान नहीं करता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन वास्तव में केवल उक्त डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से लिखित परीक्षा आयोजित करता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल होने वाले किसी भी व्यक्ति को डिग्री प्रदान की जाती है, चाहे

वह किसी भी संस्थान में नियमित छात्र के रूप में नामांकित था या नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद/प्रयाग द्वारा अपनी चिकित्सा योग्यताओं जैसे वैद्य विशारद और आयुर्वेद रत्न को मान्यता दिलाने और दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया गया। उन्होंने 1967 के बाद दी गई डिग्री/प्रमाणपत्रों के संबंध में किसी भी समय दूसरी अनुसूची में उक्त योग्यताओं को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अधिनियम, 1970 की धारा 14 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इससे एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई है। अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची के तहत उनकी चिकित्सा योग्यता को अनुमोदित/मान्यता प्राप्त नहीं करने के कारण, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भारतीय केंद्रीय परिषद के किसी भी निरीक्षण/किसी भी निर्देश को सफलतापूर्वक टाल दिया है और इसलिए एक तरफ न केवल इसने वर्ष 1971 में अनुसूची के प्रकाशन के बाद भी चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं किया

है, यानी आज तक लगभग 38 वर्षों में, इसने शिक्षा के मानक, पाठ्यक्रम आदि के रखरखाव के लिए निर्देश जारी करने के लिए सरकार/केंद्रीय परिषद द्वारा निरीक्षण से भी सफलतापूर्वक बचा लिया है। साथ ही यह आरोप लगाता है कि इसकी योग्यता को चिकित्सा के अभ्यास की अनुमति देने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद द्वारा मान्य माना जाए। चिकित्सा अनुदान पर पूर्ण निषेध के बारे में जानकारी होने के बावजूद संसद के अधिनियम, अर्थात् 1970 के अधिनियम संख्या 48 के अनुसार योग्यता और इसकी चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्राप्त करने और दूसरी अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान होने के बावजूद, इस उद्देश्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उचित रूप से कहा है कि यह किसी भी संस्थान को संबद्ध या मान्यता नहीं देता है और यह वैद्य विशारद और आयुर्वेद रतन की चिकित्सा डिग्री के विषय में शिक्षण पर आत्यन्तिक रूप कोई नियंत्रण नहीं रखता है, और न ही किसी उम्मीदवार के लिए यह

आवश्यक है कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान में एक नियमित छात्र के रूप में भर्ती होने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हो। हिंदी साहित्य सम्मेलन केवल डिग्री प्रदान करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करता है। न्यायालय की राय में बिना किसी व्यावहारिक शिक्षण के डिग्री के इस तरह के अनुदान को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और इसी कारण से केंद्र सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में दी जा रही शिक्षा के लिए मानदंडों को विस्तार से निर्धारित करते हुए केंद्रीय अधिनियम बनाया है।"

35. प्रमोद कुमार बनाम यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और अन्य (2008) 7 एससीसी 153 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मान्यता प्राप्त डिग्री केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम या नियम या किसी राज्य अधिनियम या संसद अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित/स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है। बिना किसी वैधानिक समर्थन के किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना निजी प्रबंधन द्वारा नहीं की जा सकती है। इसी तरह के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन पर भी लागू होते हैं, क्योंकि यह केवल सोसाइटीज पंजीकरण

अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसलिए कानून के किसी भी प्रावधान के तहत चिकित्सा डिग्री प्रदान करने की क्षमता की आवश्यकता है।

36. डेल्ही प्रदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाम बनाम दिल्ली प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और अन्य, एआईआर 1998 एससी 67 में ओस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक कि किसी व्यक्ति के पास अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III और IV में विहित अर्हताएं नहीं हैं, उसे अभ्यास करने का अधिकार नहीं है और यदि दोनों के बीच कोई प्रतिकूलता है तो केंद्रीय विधान राज्य अधिनियम के ऊपर होगा।

37. डॉ. मुख्तियार चंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 1999 एससी 468 में इस न्यायालय ने औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के उपबंधों से संबंधित शक्ति प्रत्यायोजन के मुद्दे की जांच की, जिसमें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां की गई हैं और उसमें कुछ नियमों को उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार अधिकारातीत घोषित किया गया था। हालांकि, इसमें शामिल मुद्दा उस मामले में नहीं उठाया गया था, यद्यपि एक अवलोकन किया गया है कि स्वीकृत कानून के तहत राज्य रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा की किसी भी प्रणाली में अभ्यास करने के विशेषाधिकार सहित

विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ परिस्थितियों में अन्य चिकित्सा प्रणाली का भी अभ्यास कर सकते हैं। उक्त मामले में, यह मुद्दा उन व्यक्तियों के अधिकारों तक ही सीमित था जो अन्यथा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत सभी दवाएं लिखने के हकदार थे और यहां शामिल मुद्दा जैसे की क्या अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत निर्धारित कोई योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्ति को योग्य और भारतीय दवाओं का अभ्यास करने का हकदार माना जा सकता है, डॉ. मुख्तियार चंद (उपरोक्त) से मामले में शामिल नहीं था।

38. इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) नं. 22124 ऑफ़ 2002, वैद बृज भूषण शर्मा बनाम बोर्ड ऑफ आयूर एंड यूनानी सिस्टम्स, मेडिसिन और अन्य में 2.12.2002 को भी इस विचार को दोहराया गया कि डॉ. मुख्तियार चंद (उपर्युक्त) में शामिल मुद्दा बिल्कुल अलग था और ऐसे प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति अभ्यास करने के हकदार नहीं थे। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

> "हमारा विचार है कि डॉ. मुख्तियार चंद और अन्य मामले (उपर्युक्त) में रिपोर्ट की गई तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय सिद्धांतों के साथ-साथ दावे के आधार पर भी, जहां तक मामले का संबंध है, प्रासंगिक और आवश्यक से पूरी

तरह से अलग है। उसमें याचिकाकर्ता के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास जारी रखने के अधिकार का दावा हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद और आयुर्वेद रतन की डिग्री के आधार पर नहीं किया गया था, जैसा कि इस मामले में हमारे सामने किया गया था। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 17 (3) के तहत व्यावृति खंड और संरक्षण के आधार पर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास जारी रखने के लिए इसके धारकों को हकदार बनाने के लिए इस डिग्री की प्रभावकारिता पहले के मामले में निर्णय के लिए आई थी और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 14 के प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ, अनुसूची में निहित प्रावधानों के साथ यह माना गया है कि 1931 और 1967 के बीच जारी की गई केवल ऐसी डिग्रियों को ही इस उद्देश्य के लिए मान्यता दी गई थी, न कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1974 में प्राप्त किए गए प्रयोजनों के लिए पूरे देश में 15.8.1971 को धारा 14 के लागू होने के लंबे समय बाद। याचिकाकर्ता के मामले में सीधे लागू होने

वाले उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर दिया जाता है।"

39. उदय सिंह डागर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 10 एससीसी 306 में इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः -

"इसलिए हमारी राय है कि सांविधिक द्वारा योग्यता निर्धारित करने के मामले में भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के दूसरे भाग के तहत परिकल्पित प्रतिबंध का अर्थ आम जनता के हित के अनुरूप होना चाहिए। हमारी राय में निर्धारित परीक्षण संतुष्ट हैं। तथापि, हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (6) उसके खंड (5) की तुलना में उच्च स्तर पर है। (द्वारा स्टेट ऑफ मद्रास बनाम वी.जी. रो AIR 1952 SC 196)"

40. दीवानी याचिका सं. 1337 ऑफ़ 2007, आयुर्वेदिक एनलिस्तेद डॉक्टर्स एसोसिएशन. मुंबई बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य में

२7.2.2009 को इस न्यायालय ने इसमें शामिल मुद्दे पर विस्तार से विचार किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः -

> "जहां तक यह दावा है कि एक बार किसी विशेष राज्य के रजिस्टर में नाम शामिल होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में वकालत करने का अधिकार है, केंद्रीय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार मान्य नहीं है। अभ्यास करने का अधिकार इस अर्थ में प्रतिबंधित है कि यदि नाम को केंद्रीय रजिस्टर में जगह मिलती है तो देश के किसी भी हिस्से में अभ्यास करने का सवाल उठता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 के तहत शर्तें संचयी हैं। चूंकि अपीलार्थियों के पास निर्विवाद रूप से धारा 2 (1) (एच) में परिभाषित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएं नहीं हैं, इसलिए उनके नाम केंद्रीय रजिस्टर में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। परिणामस्वरुप, वे केंद्रीय रजिस्टर में अपने नाम शामिल नहीं करने के कारण धारा 29 के संदर्भ में भारत के किसी भी हिस्से में अभ्यास नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 17 (3ए) केंद्रीय रजिस्टर से संबंधित केंद्रीय अधिनियम की धारा 23 को संदर्भित करती है। धारा 17 (1) राज्य के

रजिस्टर से संबंधित है। किसी भी स्थिति में, यह देखना राज्य का दायित्व है कि दूसरी और चौथी अनुसूची के संदर्भ में योग्यता की आवश्यकता है। अपीलार्थियों का दावा है कि उन्हें देश के किसी भी हिस्से में अभ्यास करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में, अनुच्छेद 19 (छ) के तहत अधिकार के प्रयोग पर हमेशा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।"

41. यह न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक व्यक्ति के पास अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III और IV में निर्धारित योग्यता नहीं है, वह चिकित्सा विज्ञान में अभ्यास करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और किसी भी राज्य रजिस्टर में केवल पंजीकरण का कोई परिणाम नहीं है।

42. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अभ्यास करने का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है। अनुच्छेद 19 के खंड (6) के प्रावधानों के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वैद्य के अभ्यास करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए, विशेष रूप से, जब उसके पास आवश्यक योग्यता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

अधिकृत "छोटे भारतीय" का अधिकार नहीं है, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य और जीवन को खराब चिकित्सा उपचार से बचाना और सुरक्षित रखना शामिल है। एक अयोग्य, अपंजीकृत और अनधिकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास कोई वैध योग्यता, डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, उसे छात्रों के नामांकन या कोई शिक्षा प्रदान किए बिना या कोई संबद्धता या मान्यता प्राप्त किए बिना किसी संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर गरीब भारतीयों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 105 की वैधता के मुद्दे पर विचार करने का प्रश्न, जैसा की "1967 तक", उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि नहीं है, बल्कि एक तारीख है, जिसके बाद विवादित योग्यता को मान्यता नहीं दी गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने स्वयं स्वीकार किया कि सोसायटी कोई शिक्षा प्रदान नहीं कर रही थी। इसके पास कोई संबद्ध कॉलेज नहीं था। यह केवल परीक्षण करता है। सोसायटी ने अधिनियम, 1970 की अनुसूची-II के भाग-1 की प्रविष्टि संख्या 105 को मान्यता देने और उसमें संशोधन करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण के समक्ष 1967 के पश्चात् कभी कोई आवेदन नहीं किया।

इस आशय की प्रस्तुतियाँ कि 1953 अधिनियम ने वैद्यों को असाधारण परिस्थितियों में अभ्यास करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए और जब तक कि केंद्रीय रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं, तब तक अभ्यास करने के लिए कोई प्रतिबंध मनमाना और राज्य के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, इस कारण से बेतुका है कि ऐसे विशेषाधिकार, यदि अधिनियम 1970 के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 254 में निहित प्रावधानों के संचालन द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इस प्रकार, इस तरह के प्रतिबंध को संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

43. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त को देखते हुए, हम निम्नलिखित अपरिहार्य निष्कर्षों पर पहुंचे हैंः -

(I) हिंदी साहित्य सम्मेलन न तो विश्वविद्यालय/मानद विश्वविद्यालय है और न ही एक शैक्षिक बोर्ड है।

(II) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।

(III) यह आयुर्वेद या चिकित्सा क्षेत्र की किसी अन्य शाखा जैसे किसी भी विषय में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक संस्थान नहीं है।

(IV) किसी भी विषय में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी स्कूल/कॉलेज इससे संबद्ध नहीं है। न ही हिंदी साहित्य सम्मेलन किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध है।

(V) हिंदी साहित्य सम्मेलन को 1967 के बाद सांविधिक प्राधिकरण से कोई मान्यता नहीं मिली है। सोसायटी द्वारा अधिनियम, 1970 की धारा 14 के तहत आवश्यकता के अनुसार मान्यता प्राप्त करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया था और आगे अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 105 में संशोधन की मांग नहीं की गई थी।

(VI) हिंदी साहित्य सम्मेलन केवल यह सत्यापित किए बिना परीक्षा आयोजित करता है कि क्या उम्मीदवार के पास कुछ प्रारंभिक/बुनियादी शिक्षा है या उसने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में आयुर्वेद की कक्षाओं में भाग लिया है।

(VII) अधिनियम, 1970 के प्रारंभ के बाद, कोई व्यक्ति जिसके पास अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III और IV में निर्धारित योग्यता नहीं है, वह प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं है।

(VIII) केवल राज्य अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करना उसे अभ्यास करने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(IX) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अभ्यास करने का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रदान किए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

(X) अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III और IV में निर्धारित अपेक्षित योग्यता रखने के बिना अभ्यास पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है या राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधिकार अधिकारातीत नहीं है।

44. तत्काल मामलों को ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए और, विशेष रूप से, आयुर्वेदिक सूचीबद्ध डॉक्टर्स एसोसिएशन (उपरोक्त) में। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस हद तक किया गया अवलोकन कि 1.10.1976 तक प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति, जिस तारीख को राजस्थान राज्य में धारा 17 के प्रावधानों को लागू किया गया था, वह इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त

संदर्भित मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए, उक्त अवलोकन किये जाने योग्य है।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एसएलपी (सी) सं. 21043/2008 से उत्पन्न सिविल अपील स्वीकार की जाती है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसने 1967 के बाद हिंदी साहित्य सम्मलेन प्रयाग से प्रमाणपत्र, डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है, वह किसी भी प्रकार के चिकित्सा अभ्यास में लिप्त होने का पात्र नहीं है। अन्य सभी दीवानी अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

न्यायाधिपति (डॉ बी.एस. चौहान)

न्यायाधिपति (स्वतंत्र कुमार)

नई दिल्ली,

1 जून, 2010

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।